

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर, गोरखपुर एवं वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 05 जनवरी, 2018

विषय: वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु ₹0 90,00,000/- (रूपये नब्बे लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	जौनपुर, पत्र संख्या-1778, दिनांक 02.01.2018	30,00,000 (कम्बल हेतु)
2	गोरखपुर, पत्र संख्या-662, दिनांक 04.01.2018	35,00,000 (कम्बल हेतु) 3,50,000 (अलाय हेतु)
3	वाराणसी, पत्र संख्या-09, दिनांक 04.01.2018	20,00,000 (कम्बल हेतु) 1,50,000 (अलाय हेतु)
		₹0 90,00,000 (रूपये नब्बे लाख मात्र)

संख्या धनावंटन 2018//4

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 3- शासनादेश संख्या-1651/1-10-2017-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 16.11.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय



(संजय कुमार)

विशेष सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 106 (1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार (श्री धर्म सिंह सैनी) आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 11- गार्ड फाईल।

आज से,

(अनिस कुमार)

उप सचिव।